



नाबालगिों की संरक्षकता

प्रलिमिंस के लयि:

नाबालगिों की संरक्षकता, जनहति याचकिा, स्थायी खाता संख्या, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोरड, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 14, हट्टि अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधनियिम, मुसलमि वयक्तगित कानून आवेदन अधनियिम, भारत का वधिआयोग ।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिों और हस्तकषेप, बच्चों से संबंघति मुद्दे, नाबालगिों की संरक्षकता और संबंघति कानून ।

चर्चा में क्यो?

हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय में एक [जनहति याचकिा \(PIL\)](#) द्वारा मांग की गई कि सभी दस्तावेजों में पतिा के साथ माता के नाम का भी उल्लेख होना चाहयि ।

- हाल के दनिों में पासपोर्ट और स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड के नयिमों में बदलाव कयि गए हैं, जो एक आवेदक को अपनी माता का नाम प्रस्तुत करने की अनुमति देता है यदविह सगिल पैरेंट (Single Parent) है ।
- लेकनि जब बात स्कूल सर्टिफिकेट और अभिावक के रूप में पतिा के नाम पर ज़ोर देने वाले कई अन्य दस्तावेजों की आती है तो यह एक परेशान करने वाला मुद्दा बना रहता है ।
- पैन (PAN) देश में वभिनिन करदाताओं की पहचान करने का एक साधन है ।

सगिल पैरेंट वाले लोगों को पासपोर्ट और पैन कार्ड जारी करने संबंघी नयिम

- पासपोर्ट: दसिंबर, 2016 में वदिश मंत्रालय ने पासपोर्ट जारी करने के अपने नयिमों को उदार बनाने से संबंघति कई कदम उठाए ।
 - तीन सदस्यीय समतिि की सफिरशिों के बाद कुछ बदलाव कयि गए थे, जसिमें वदिश मंत्रालय और महिला एवं बाल वकिस मंत्रालय शामिल थे, जिन्होंने तलाक के बाद या गोद लेने के मामले में बच्चों के लयि पासपोर्ट से संबंघति वभिनिन चतिाओं की जाँच की थी ।
 - परविरतनों के बाद आवेदक पतिा और माता दोनों का वविरण प्रदान करने के बजाय माता-पतिा में से कसिी एक का नाम प्रदान कर सकते हैं ।
 - नए पासपोर्ट आवेदन फॉरम में आवेदक को तलाकशुदा होने पर अपना या अपने पतिा या पत्नी का नाम प्रदान करने की आवशयकता नहीं है और न ही तलाक की डकिरी प्रदान करने की आवशयकता है ।
- PAN (पैन): नवंबर 2018 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोरड ने आयकर नयिम, 1962 में संशोधन कयिा, ताकि माता के सगिल पैरेंट (Single Parent) होने पर पतिा का नाम अनविरय न हो ।
 - नया पैन आवेदन फॉरम में पतिा के साथ माता के नाम की भी ज़रूरत होती है ।
 - यह आवेदक की इच्छा पर नरिभर है कि उसे पैन कार्ड पर अपने पतिा और माता में से कसिका का नाम चाहयि ।

देश में संरक्षकता कानून:

- हनिदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधनियिम:
 - भारतीय कानून नाबालगि (18 वर्ष से कम आयु) की संरक्षकता के मामले में पतिा को वरीयता प्रदान करते हैं ।
 - हट्टिओं के धार्मकि कानून या हट्टि अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधनियिम, (HMGA) 1956 के तहत नाबालगि या संपत्ति के संबंघ में एक हट्टि नाबालगि का प्राकृतकि अभिावक "पतिा होता है तथा उसके बाद माता का अधिकार है ।
 - बशरते कएक नाबालगि की कसटडी जसिकी पाँच वर्ष की उम्र पूरी नहीं हुई है, सामान्यत मां के पास होगी ।
- मुसलमि परसनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम, 1937:
 - मुसलमि परसनल लॉ (शरीयत) अनुप्रयोग अधनियिम [The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937] के अनुसार, संरक्षकता के मामले में शरीयत या धार्मकि कानून लागू होगा, जसिके अनुसार जब तक बेटा सात साल की उम्र पूरी नहीं कर लेता है

और बेटी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है तब तक पति प्राकृतिक अभिभावक है, हालाँकि पति को सामान्य पर्यवेक्षण और नयितरण का अधिकार प्राप्त है।

- मुस्लिम कानून में अभिरक्षा या 'हजानत' (Hizanat) की अवधारणा में कहा गया है कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है।
- यही कारण है कि मुस्लिम कानून बाल्यावस्था (Tender Years) में बच्चों की कस्टडी के मामले में पति के स्थान पर माता को वरीयता प्रदान करता है।

■ सर्वोच्च न्यायालय का नरिणयः

- वर्ष 1999 में गीता हरहरिन बनाम भारतीय रजिस्ट्रार बैंक मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले ने आंशिक राहत प्रदान की।
- इस केस में HMGA को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत लैंगिक समानता की गारंटी के उल्लंघन के लिये चुनौती दी गई थी।
 - अनुच्छेद 14 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा।
- न्यायालय ने माना कि "बाद" शब्द का अर्थ "पति के जीवनकाल के बाद" (After The Lifetime Of The Father) नहीं होना चाहिये, बल्कि "पति की अनुपस्थिति में" (Absence Of The Father) होना चाहिये।
- लेकिन यह नरिणय माता-पति दोनों को समान अभिभावक के रूप में मान्यता देने में विफल रहा, जिसने पति की भूमिका के लिये एक माँ की भूमिका को अधीन कर दिया।
- हालाँकि यह फैसला अदालतों के लिये एक मसाल कायम करता है, लेकिन इससे HMGA में कोई संशोधन नहीं हुआ है।

■ भारतीय वधि आयोगः

- भारतीय वधि आयोग ने मई 2015 में "भारत में संरक्षकता और अभिरक्षा कानूनों में सुधार" पर अपनी 257वीं रिपोर्ट में सफिरशि की थी कि:
 - यह एकल माता-पति के साथ एकल बाल अभिरक्षा के वधिार से असहमत था।
 - माता और पति दोनों को एक साथ एक अवयस्क के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में माना जाना चाहिये।
 - इसने संयुक्त अभिरक्षा के लिये HMGA और GWA में संशोधन हेतु तथा इस तरह की संरक्षकता, बाल सहायता और मुलाकात व्यवस्था से संबंधित दिशा-नरिदेशों की वसितृत सफिरशियों की।

प्रमुख चतिः

- हालाँकि वैवाहिक वधिाद में न्यायालय माँ को बच्चे की कस्टडी प्रदान करने का अधिकार दे सकता है परंतु कानून में संरक्षकता मुख्य रूप से पति के पास है और यह वरिधाभास इस बात पर प्रकाश डालता है कि माता को देखभाल करने वाले के रूप में माना जाता है, लेकिन बच्चों के लिये नरिणय लेने वालों के रूप में नहीं।

आगे की राह

- वभिन्न सरकारी वधिागों को यह सुनिश्चित करने के लिये अपने नयिर्मों में सक्रिय रूप से संशोधन करना चाहिये कि वे गीता हरहरिन फैसले के अनुरूप हैं क्योंकि कानूनों में संशोधन एक चुनौतीपूर्ण अभ्यास हो सकता है।
- जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक लोगों को राहत के लिये अदालतों का चक्कर लगाना पड़ता है।

वगित वर्शों के प्रश्न

एक कानून जो कार्यपालिका या प्रशासनिक प्राधिकरण को किसी मामले में अनरिदेशित और अनयितरति वविकाधीन शक्ति प्रदान करता है, नमिनलखिति में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है?

- (a) अनुच्छेद 14
- (b) अनुच्छेद 28
- (c) अनुच्छेद 32
- (d) अनुच्छेद 44

उत्तरः (a)

स्रोतः द हदि